राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र सं0- 31 /2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ- 226002
फोन नं. 0522-27240003/2390240, फैक्स नं. 0522-2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल police.up@nic.in
वेबसाईट: https://uppolice.gov.in

दिनांक: जून 06 , 2026

विषय: महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित लैंगिक अपराधों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) पोर्टल पर लम्बित अभियोगों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

आप सभी भलीभॉति अवगत है कि महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित लैंगिक अपराधों के मामलों के समयबद्ध निस्तारण एवं नियमित समीक्षा हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। ITSSO पोर्टल के माध्यम से BNS की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78 एवं POCSO ACT की धारा 4, 6, 8, 10 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों का पर्यवेक्षण किया जाता है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश (नोडल इकाई) द्वारा ITSSO पोर्टल पर प्रदर्शित लम्बित अभियोगों के समयबद्ध निस्तारण कराये जाने हेतु मासिक समीक्षा बैठक कर पोर्टल का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

2- ITSSO पोर्टल पर महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित लैंगिक अपराधों के सन्दर्भ में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना प्रत्येक दशा में 60 दिवस के भीतर सम्पादित कर आरोप पत्र सम्बन्धित माननीय न्यायालय में प्रेषित करना अनिवार्य है । 60 दिवस के भीतर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित करने पर अनुपालन दर (Compliance rate) के अन्तर्गत विवेचना सम्पादित मानी जाती है और इसके अनुसार ITSSO पोर्टल पर राज्य की रैंकिग निर्धारित की जाती है।

3- ITSSO पोर्टल पर प्रदर्शित लम्बित अभियोगों के समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है:-

- महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराधों की विवेचना भिज्ञ एवं अनुभवी निरीक्षक/उपनिरीक्षक गण को आवंटित न करते हुये नये उपनिरीक्षक को आवंटित की जा रही है, जिससे गंभीर यौन अपराधों की विवेचनात्मक कार्यवाही की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ-साथ समयबद्ध निस्तारण में समस्या आ रही है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि ऐसे संवेदनशील प्रकरणों की जॉच भिज्ञ व अनुभवी निरीक्षक/उपनिरीक्षक गणों को ही आवंटित करते हुये समुचित अनुश्रवण कर विवेचना का समयबद्ध निस्तारण कराया जाये।
- महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराधों के अभियोगों के विवेचकों को अकारण (Frequently) बदल दिया जा रहा है। पर्यवेक्षण अधिकारी का दायित्व होगा कि विवेचकों को अकारण (Frequently) न बदला जाये।

- यदि किसी अपरिहार्य कारण/स्थिति में विवेचना परिवर्तित की जाती है तो ऐसी विवेचनाओं का स्थानान्तरण केवल जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा ही किया जाय। जनपदीय पुलिस प्रभारी इसका लिखित कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित करते हुये विवेचनाओं का समयबद्ध (60 दिवस) निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे।

- ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त अन्य प्रदेश व जनपदों में निवास करते है या उनकी लोकेशन अन्यत्र प्रदेश/जनपदों में प्राप्त होती है, उन प्रकरणों में विवेचकों द्वारा जनपद से बाहर जाने की अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब किया जाता है। विवेचक द्वारा समय से सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा में विवेचना का विधिक निस्तारण 60 दिवस के अन्दर कराया जाना जनपदीय पुलिस प्रभारी सुनिश्चित करेंगे।

- विवेचकों द्वारा अभियोगों से सम्बन्धित माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में समय से दाखिल नहीं किया जा रहा है। विवेचक गण व्यक्तिगत रूप से पैरवी कर यह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रकरणों में समय से माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दाखिल कर उनकी समय से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही समय से माल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को यथोचित निर्देश निर्गत कराते हुए समय से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

- यह भी देखा गया है कि कई मामलों विशेष रूप से पारिवारिक या आपसी विवाद से जुड़े मामलों में विवेचकों द्वारा विवेचना में गलत पायी गयी मूल धाराओं को विलोपित (Delete/Drop) करने संबंधी सूचना को CCTNS पोर्टल पर समय से अपलोड नहीं किया जाता है। यह कार्य कभी-कभी अज्ञानता, कदाचार एवं लापरवाही के कारण होता है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि Sexual offence से सम्बन्धित पारिवारिक मामलों की विवेचनाओं में उक्त धाराओं के गलत पाये जाने पर ITSSO पोर्टल पर तत्सम्बन्धी प्रदर्शित धाराओं को विलोपित करके CCTNS पर अपलोड/सिंक कर दिया जाय। इस प्रकार CCTNS पोर्टल पर डेटा फीड होते ही विवेचना से Sexual offence से सम्बन्धित धाराओ के हटते ही विवेचना ITSSO पोर्टल से हट जायेगी और अनुपालन दर (Compliance Rate) पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- विवेचकों द्वारा कतिपय अभियोगों में आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर देने के बाद भी उनका डाटा समय से सी0सी0टी0एन0एस0 पर सिंक नहीं कराये जाने के कारण ITSSO पोर्टल पर विवेचना लम्बित प्रदर्शित होती है। थाना प्रभारी/विवेचक प्रेषित किये गये आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट का डाटा समय से सी0सी0टी0एन0एस0 पर सिंक कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि विवेचना का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

4- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कराते हुये Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) पोर्टल पर लम्बित लैंगिक अपराधों के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा) 6

1- पुलिस आयुक्त, समस्त कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- पुलिस महानिदेशक (रेलवे), उ0प्र0, लखनऊ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0, लखनऊ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, (WCSO) उ0प्र0 लखनऊ।

4- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

5- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।